148

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 14419 / 1788 दिनांकः– 27/06/14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग
07 JUL 2014
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, अमरपुर के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 588 / 13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

Gen. 4480 (S)
8.7.14

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

Sec VII
09.07.14

नगर पंचायत, अमरपुर
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं– 588 / 13–14
अवधि– वर्ष 2011–12 से 2012–13

1. **प्रस्तावना**

नगर पंचायत, अमरपुर के वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लेखाओं की नमुना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 27. 05.13 से 01.06.13 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन**

क्रम सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री रमेश कुमार सिंह	01.04.11 से 06.09.12
2	श्री प्रमोद कुमार	.06.09.12 से 31.03.13

मुख्य पार्षद

1	श्रीमति रेणु देवी	01.04.11 से 15.06.12
2	श्री सदानन्द महतो	16.06.12 से 31.03.13

उप मुख्य पार्षद्

1	श्री सदानन्द महतो	01.04.11 से 15.06.12
2	श्रीमति नीलम सिंह	16.06.12 से 31.03.13

3. **लेखापरीक्षा का क्षेत्र**

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –। तथा लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–।। में दी गयी है।

4. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया।

146

5. प्रमुख लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

क.सं.	कंडिका सं0	विवरणी
1	12	अनुदानों का विचलन– रू. 719313.00
2	13	कम/नहीं जमा–रू. 11527.00
3	14	विलम्ब दण्ड(होल्डिंग टैक्स) की कम वसूली–रू. 24902.00
4	16	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की वसूली नहीं–रू. 264309.00
5	17	संचार (मोबाइल) टावरों का पंजीकरण एवं नवीकरण बकाया शुल्क–रू. 558000.00
6	19	अधिक भुगतान–रू. 7262.00
7	21	प्राक्कलन के प्रतिकुल कार्य–रू. 84000.00
8	22	योजना का विभागीय कार्यान्वयन–रू. 1155479.00
9	23	क्षतिपूर्ति (योजना का विलम्ब से कार्यान्वयन) वसुली नहीं–रू. 267441.00
10	24	श्रम उपकर की कटौती नहीं:–रू. 29806.00.
11	25	वैट की कम/नहीं वसुली–रू. 60173.00
12	27	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय–रू. 286061.00
13	28	असमायोजित अग्रिम–रू. 277522.00

6. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नगर पंचायत लेखा के आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, परन्तु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली,1928 के नियम 20, 30 तथा 36 एवं रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली के नियम 37 एवं 39 आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आंतरिक जाँच के प्रावधान हैं। नियमावली में दी गयी जाँच प्रकिया का उद्देश्य लेखापरीक्षा के समुचित संधारण तथा समन्वयन के साथ– साथ त्रुटियाँ एवं अनियमितताओं का निराकरण करना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त नियमावली में वर्णित जाँच नहीं की गयी, जिसके कारण अनेक अनियमितताएँ पायी गयी। इनकी विवेचना आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

निश्चित अन्तराल पर अगर नगर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा उक्त जाँच प्रकिया अपनायी गयी होती तो लेखा परीक्षा के क्रम में पायी गयी त्रुटियाँ नहीं होती।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से यह अनुरोध है कि आंतरिक जाँच प्रक्रिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितता/त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

7. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत, अमरपुर के पी0एल0खाता (समान्य रोकड़ बही) के अनुसार वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक आय व्यय विवरणी तैयार किया गया है:–

क0सं0	विवरणी	2011–12	2012–13
1	प्रारम्भिक शेष	11552048.52	12271963.52
2	वर्ष की प्राप्ति	3994183.00	24432583.00
3	कुल प्राप्ति	15546231.52	36704546.52
4	कुल व्यय	3274268.00	5186898.70
5	अन्त शेष	12271963.52	31517647.82

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –।।। पर)

8. बैंक समाधान विवरणी

पी0एल0खाता रोकड़ बही एवं बैंक खाता/कोषागार खाता का अन्तशेष दिनांक 31.03.13 को निम्न प्रकार से था:–

क.सं.	बैंक एवं खाता सं0	खाता सं0	बैंक का अन्तशेष	अभियुक्ति
1	भारतीय स्टेट बैंक	11739997219	10556325.36	
2	भारतीय स्टेट बैंक	11739938151	365021.86	
3	भारतीय स्टेट बैंक	31918542158	1168214.00	
4	भारतीय स्टेट बैंक	30381619580	3432808.00	दिनांक 25.03.13 का अन्तशेष
5	बैंक ऑफ इण्डिया, अमरपुर	580120110000084	241000.00	दिनांक 01.03.13 का अन्तशेष
6	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अमरपुर	सी0डी0–28	312431.75	दिनांक 30.03.13 का अन्तशेष
7	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अमरपुर	सी0डी0–81	14323.00	दिनांक 30.03.13 का अन्तशेष
8	पी0एल0 खाता	पी0एल0–179	15105670.00	
योग			31195793.97	

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ :–

उपरोक्त सामान्य रोकड़ बहियों एवं बैंक/कोषागार खाता में अन्तर (31195793.97– 31517647.82) =(–321853.85 या 321854.00) पाया गया। जिसका नगर पंचायत के द्वारा बैंक समाधान विवरणी बनाकर अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, उसके अनुसार बैंक का अन्तशेष, रोकड़ बही के अन्तशेष से रू. 43216.00 अधिक पाया गया।

144

1. वर्ष के अन्त में शीर्षवार आय– व्यय विवरणी (मासिक एवं वार्षिक) नहीं बनाया गया।
2. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।
3. वार्षिक लेखा भी तैयार नहीं किया गया था।
4. एक से अधिक मदों का संव्यवहार संयुक्त रूप से एक ही बैंक खातों/कोषागार खाता से किया जा रहा था। परिणामस्वरूप मदवार बैंक का अन्तशेष ज्ञात नहीं किया जा सका।
5. रोकड़ बही में चेक सं0, अभिश्रव आदि का उल्लेख व्यय भाग में नहीं किया गया था।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जबाव दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार कर ली जायेगी एवं चेक सं0 व अभिश्रव की प्रविष्टि वित्तीय वर्ष 2013–14 से कर ली जायेगी।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

9. वार्षिक लेखा व बजट प्राक्कलन

नगर पंचायत, अमरपुर द्वारा, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा एवं धारा 84 के अनुसार नगरपालिका बजट प्राक्कलन एवं सशक्त स्थायी समिति की कोई अनुशंसा हो तो उस पर विचार करेगा एवं 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी। अंगीकृत बजट नगर पंचायत के मामलों में स्थानीय निकायों के निदेशक/उप निदेशक को भेजेगा जो 31 मार्च तक परिवर्तन/बिना परिवर्तन के साथ नगरपालिका को वापस लौटा सकेगा।

परन्तु नगर पंचायत, अमरपुर के द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए बजट प्राक्कलन नहीं बनाया गया था जिसके कारण अनुमानित आय व व्यय एवं वास्तविक आय व व्यय में अन्तर वास्तविक तथ्य का पता नहीं चल सका।

इसके अतिरिक्त नगर पंचायत अमरपुर के द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का वार्षिक लेखा भी तैयार नहीं किया गया था।

सामान्य रोकड़ बही एवं अन्य उप रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2011–12 में रू. 3274268.00 एवं 2012–13 में रू. 5186898.70 का वास्तविक व्यय किया गया था।

अतः नगर पंचायत, अमरपुर के द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार बिहार नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन था एवं इसके बिना वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में उपरोक्त किए गए व्यय क्रमशः रू. 3274268.00 एवं रू. 5186898.70 अप्राधिकृत था।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि आगामी वर्ष से वार्षिक लेखा के साथ– साथ बजट भी तैयार कर लिया जायेगा।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 1928, तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय– समय पर जारी किया गया दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष मदवार प्राप्तियों एवं व्यय को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक, त्रैमासिक व मासिक लेखा तथा बजट प्राक्कलन तैयार करवाने की दिशा में उचित व प्रभावी कदम उठाया जाय।

10. सरकारी अनुदान

यद्यपि नगर पंचायत के द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण कुल प्राप्त अनुदान एवं 31.03.13 का अन्तशेष को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। फिर भी प्रस्तुत किये गये सहायक रोकड़ बही, वर्ष 2012–13 के आवंटन पंजी एवं विभिन्न उद्देश्यों/मदों के लिए वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए कुल रू. 25851950.00 का अनुदान प्राप्त हुआ था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर)

इस संबंध में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि अनुदान पंजी संधारण करने की दशा में कार्यवाई की जायेगी।

अतः अनुदान पंजी का उचित रूप से संधारण कर एव प्राप्त अनुदानों में से किये गये व्यय की उपयोगिता प्रमाणपत्र अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

11. निधि का अवरोधन– रू. 28.88 लाख

नगर पंचायत, अमरपुर के वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के सामान्य रोकड़ बही एवं उप रोकड़ बही के नमूना जांच में पाया गया कि प्रशासनिक भवन निर्माण मद की अनुदान राशि रू. 2887875.00 (स्वीकृतादेश सं0. न0वि0 एवं आ0वि0, पटना– 4533 दिनांक 29.08.08) वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्राप्त हुआ था, की रोकड़ बही में प्रविष्टि दिनांक 10.01.09 को की गई थी। उक्त अनुदान राशि को लेखापरीक्षा अवधि तक अवरूद्ध (अवधि करीब 4.5 वर्ष) करके रखा गया था।

बिहार वित्त नियमावली 2005 (खंड– 1) के नियम 343 के अनुसार अनुदान की राशि के उपयोग नहीं होने पर संस्वीकृति प्राधिकार को वापस कर देना चाहिए। अनुदान के अवरोधन से उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है जिसके लिए अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि प्रशासनिक भवन से सम्बन्धित भवन के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय कार्यवाई की जा रही है।

अतः जवाब के मुताबिक उपरोक्त मद के अनुदान अवरोधन राशि रू. 2887875.00 का व्यय उसके उद्देश्य के अनुसार यथाशीघ्र किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

142

12. अनुदान राशि का विचलनः–रू. 07.19 लाख

(क) तेरहवीं वित्त मद–रू.02.88 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार (पत्रांक 5/ब013वीं वित्त 3–01/10 –95/न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 17.08.10) द्वारा तेरहवीं मद की राशि के प्रयोग हेतु कुछ दिशानिर्देश दिए गए थे जिसके तहत अनुदान राशि का व्यय निम्नवत किया जाएगाः–

1. कम से कम 50 प्रतिशत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन
2. पाईप जलापूर्ति व्यवस्था
3. सड़कों में प्रकाश व्यवस्था/विद्युत विपत्र का भुगतान
4. रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख रखाव

नगर पंचायत के वर्ष 2012–13 के 13वीं वित्त मद से संबंधित योजना अभिलेख एवं योजना पंजी के नमुना जांच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 में कुल 06 योजनाएं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण/ईंट सोलिंग से ली गई थी जिसमें प्राक्कलन रू. 294100.00 के विरूद्ध कुल रू. 287825.00 व्यय किया गया था, जो निम्न प्रकार से हैः–

क0सं0	योजना सं0	योजना का नाम	प्रा0 राशि	कुल व्यय	अभिकर्ता का नाम
1	01/12–13	पी0सी0सी0 सड़क वार्ड–01	44700.00	42702.00	मो0 सैयद अतार्रहमान, जनसेवक
2	02/12–13	पी0सी0सी0 सड़क वार्ड–02	52000.00	49296.00	
3	07/12–13	पी0सी0सी0 सड़क वार्ड–07	45400.00	44474.00	
4	11/12–13	पी0सी0सी0 सड़क वार्ड–10	45300.00	45273.00	
5	11/12–13	ईंट सोलिंग वार्ड–11	52300.00	52026.00	
6	12/12–13	ईंट सोलिंग वार्ड–12	54400.00	54054.00	
योग			294100.00	287825.00	

उपर्युक्त सभी कार्यान्वित 06 योजनाएं सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के विपरीत 13वीं वित्त मद से किये थे। इस प्रकार कार्यान्वित योजनाओं में रू. 287825.00 का विचलन किया गया।

(ख) बारहवीं वित्त मद–रू. 04.31 लाख

नगर पंचायत के बारहवीं वित्त आयोग के रोकड़ बही एवं योजना पंजी के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि बारहवीं वित्त आयोग के दिशानिर्देश के विरूद्ध कुल रू. 431488.00 का व्यय दैनिक मजदूरों के मजदूरी एवं आकस्मिकता पर किया गया था, जो कि 12वीं वित्त का विचलन था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V पर)

अंकेक्षण आपत्ति (क) एवं (ख) के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि नगर पंचायत की बैठक के प्रस्ताव के आलोक में योजना कार्यान्वित की गयी थी।

अतः उपर्युक्त वर्णित (क) एवं (ख) अर्थात 13वीं एवं 12वीं वित्त आयोग मद के अनुदान की कुल विचलित राशि रू. 719313.00 (रू. 287825.00 + 431488.00) को यथाशीघ्र भरपाई की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तथा भरपाई की जाने तक इस राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

13. कम/नहीं जमा–रू. 0.12 लाख

विभिन्न होल्डिंग टैक्स रसीद बुकों जो कर संग्राहक श्री सोहन कुमार दास को गृह कर की वसूली हेतु निर्गत किये गये थे, का संबंधित दैनिक संग्रह पंजी एवं रोकड़पाल रोकड़ बही के साथ नमूना जांच में पाया गया कि कुछ रसीदों के द्वारा संग्रहित राशि नगर पंचायत के निधि में कम/नहीं जमा किया गया, निम्न है–

क0सं0	होल्डिंग टैक्स रसीद सं0/तिथि	संग्रहित राशि	जमा राशि	कम/नहीं जमा
1	3146/23.02.13	550.80	शुन्य	550.80
2	3173/01.04.13	550.80	शुन्य	550.80
3	3174/02.04.13 से 3200/27.05.13	10012.54	शुन्य	10012.54
4	2727/01.03.12 से 2797/30.03.12, 2801/30.03.12 से 2900/12.04.12, 2901/12.04.12 से 3000/18.04.12 एवं 3001/19.04.12 से 3050/25.04.12	142986.54	142574.00	412.54
योग				11526.68

अंकेक्षण आपत्ति

1. नगर पंचायत के द्वारा मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण मांग, वसूली व बकाया के बारे में वास्तविक जानकारी ज्ञात नहीं की सकी।
2. तहसीलदारों द्वारा हस्तगत मांग का उचित ढंग से संधारण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाएगा।

अतः उपर्युक्त राशि रू. 11526.68 या रू. 11527.00 को नगर पंचायत के निधि में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

1/40

14. होल्डिंग टैक्स के विलम्ब दण्ड की कम वसूली– रू. 0.25 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक–04(9)–कं–4/2009/3533/न0वि0आ0वि0 दिनांक 27.08.09 एवं 04(9)–कं–4/2009/938/न0वि0आ0वि0 दिनांक 25.02.10 के अनुसार फरवरी 2010 से पूर्व के बकाया गृह करों पर 02 प्रतिशत प्रति महीना विलम्ब शुल्क के रूप में अधिरोपित किया गया है।

परन्तु श्री सोहन कुमार दास, तहसीलदार को गृह कर वसूली हेतु जारी किये गये गृह कर रसीद बुकों के नमूना जांच में पाया गया कि विलम्ब दण्ड की वसूली त्रुटिपूर्ण अर्थात पूर्व के पूरे बकाया गृह करों पर एकमुश्त 02 प्रतिशत वार्षिक की दर से चार्ज किया गया था, जबकि 02 प्रतिशत मासिक की दर से वसूली करना था। परिणामस्वरूप रू. 24902.00 की कम विलम्ब दण्ड की वसूली संबंधित गृह मालिकों से की गई।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जवाव दिया गया कि विलम्ब शुल्क की वसूली निर्देशानुसार गृह मालिकों से करने हेतु कार्यवाई की जायेगी।

अतः उपर्युक्त विलम्ब दण्ड की कम वसूली राशि रू. 24902.00 की भरपाई इसके जिम्मेदार व्यक्ति से की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

15. विभिन्न प्रकार के करों का पुनरीक्षण/अधिरोपण नहीं किये जाने से राजस्व क्षति

होल्डिंग टैक्स नगर निकायों के आय का मुख्य स्रोत होता है। वर्तमान में नगर पंचायत, अमरपुर की स्थापना व्यय का पांचवां भाग भी हाल्डिंग टैक्स से प्राप्त नहीं हो रहा है, विवरणी निम्न है:–

क0सं0	वर्ष	स्थापना एवं अन्य मद के व्यय	होल्डिंग टैक्स से प्राप्ति	अभियुक्ति
1	2011–12	649691.00	37813.00 (5.82 प्रतिशत)	आंकड़े सामान्य रोकड़ बही से प्राप्त किया गया है
2	2012–13	799005.00	226496.00 (28.34 प्रतिशत)	

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की उपधारा 13 में स्पष्ट प्रावधान हे क प्रत्येक पांच वर्षों में हाल्डिंग टैक्स का पुनरीक्षण किया जाएगा लेकिन इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

वर्तमान में नगर पंचायत, अमरपुर द्वारा होल्डिंग टैक्स की दर 01.04.06 से प्रभावी है।

नगर पंचायत के द्वारा मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में विभिन्न करदाताओं के पास बकाया करों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका साथ ही कर संग्राहकों द्वारा कर की वसूली भी संतोषप्रद नहीं था।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत नगर निकाय को विभिन्न प्रकार के करों, उपकरों यथा विज्ञापन कर, मनोरंजन कर अधिभार, पर्यटनस्वरूप तीर्थयात्री कर आदि अधिरोपित करने के साथ–साथ धारा 129(ख) एवं (ग), 342, 345, 148, 421 आदि के अंतर्गत किसी भी प्रकार के व्यवसाय यथा बैंकिंग, गैस एजेंसी, गैरेज, ईंट भट्ठी, आटा मिल, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री आदि हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क (अधिकतम रू. 2500/– प्रतिवर्ष) अधिरोपित/वसूलने की शक्ति प्रदान की है जिससे कि नगर निकाय आर्थिक रूप से सुदृढ एवं आत्मनिर्भर हो सके।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 4(न0) विविध 46/12–3451/न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 26.09.12 के आलोक में होल्डिंग टैक्स के नये दर को नगर पंचायत के बोर्ड के बैठक दिनांक 08.11.12, प्रस्ताव सं0. 04 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। परन्तु फिर भी नगर पंचायत, अमरपुर के द्वारा न ही होल्डिंग टैक्स का पुनरीक्षण किया गया है और न ही किसी अन्य प्रकार के करों/शुल्कों को अधिरोपित किया गया है। फलस्वरूप नगर पंचायत को बहुत बड़ी राजस्व क्षति हो रही थी।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि होल्डिंग टैक्स एवं अन्य कर, अनुज्ञप्ति शुल्क की बढोतरी हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन होने पर इस पर कार्यवाई की जाएगी।

अतः नगर पंचायत को अपने स्वयं के आय स्रोत को बढाने हेतु आवश्यक कार्यवाई की जाय एवं कृत कार्यवाई से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

16. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की वसूली नहीं– रू. 2.64 लाख

नगरपालिका क्षेत्र में निवास करने वाले जनता को स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराने के एवज में सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का अधिरोपण किया गया है। जिसकी वसूली की जिम्मेदारी नगरपालिका को सौंपी गई है। उपबंध के अनुसार नगरपालिका सभी होल्डिंग धारकों से निर्धारित होल्डिंग टैक्स के 50 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं 50 प्रतिशत शिक्षा उपकर के रूप में वसूली की जायेगी तथा वसूली गई स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि में से नगर निकाय के द्वारा 10 प्रतिशत वसूली प्रभार के रूप में कटौती कर शेष 90 प्रतिशत राशि को सरकारी कोष में जमा करना होगा।

यद्यपि नगर पंचायत के द्वारा मांग एवं वसूली पंजी, बजट, वार्षिक लेखा आदि का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में वसूली की गई होल्डिंग करों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। फिर भी होल्डिंग रसीद, दैनिक वसूली पंजी एवं लेखापाल रोकड. बही के नमूना जांच में पाया गया कि होल्डिंग कर धारकों से संबेधित उपकरों की वसूली नहीं की जा रही थी। लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान कुल रू. 264309.00 होल्डिंग कर के रूप में वसूली की गई थी, निम्न है–

क0सं0	वर्ष	होल्डिंग कर	स्वास्थ्य उपकर	शिक्षा उपकर	सकल योग
1.	2011–12	37813.00	18906.50	18906.50	37813.00
2	2012–13	226496.00	113248.00	113248.00	226496.00
योग		264309.00	132154.50	132154.50	
कटौती–वसूली प्रभार (10 प्रतिशत)			13215.45	13215.45	
अवशेष राशि (90 प्रतिशत)			118939.05	118939.05	

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियम के उपबंधों एवं पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी दिये गये सुझाव के बावजूद भी उपर्यक्त उपकरों की वसूली नगर पंचायत के द्वारा नहीं की जा रही थी।

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में नगर पंचायत के द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर राशि रू. 264309.00 (132154.50 प्रत्येक) की वसुली नहीं करने के कारण नगर पंचायत को कुल राशि रू. 26430.90 (13215.45 प्रत्येक) की राजस्व क्षति हुई तथा राज्य सरकार को भी कुल राशि रू. 237878.10 (118939.10 प्रत्येक) की हानि पहुंचायी गई।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि उपरोक्त आपत्ति के अवलोकन में षिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकरों की वसूली की जाने की कारंवाई की जाएगी।

अतः स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की वसुली रू. 264309.00 सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाया जाय तथा वसुली प्रभार राशि रू. 26430.90 (13215.45 प्रत्येक) की कटौती कर अवशेष राशि रू. 237878.10 (118939.10 प्रत्येक) को राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में अवगत कराया जाय।

17. संचार (मोबाइल) टावरों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि–रू.5.58 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के अधीन अधिरोपित समस्त टावर पंजीकरण तथा नवीनीकरण फीस के बकाया को सम्पति कर का बकाया माना जाएगा तथा उसकी वसूली उस रूप में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 के अधीन नगरपालिका द्वारा बनाई गई विनियमावली के अधीन होगी।

इस संबंध में जारी अधिसूचना (सं0. 584 दिनांक 21.02.12) की कंडिका 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क रू. 30000 प्रतिटावर एवं नवीनीकरण शुल्क रू. 8000/– प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित

किया गया है। 05 वर्षों की नवीनीकरण फीस एकमुश्त जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी साथ ही नवीनीकरण शुल्क में प्रत्येक 05 वर्ष बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

कंडिका 6(2) के अनुसार, उपयुर्क्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर्युक्त वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीनीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर निकाय द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी एवं संबंधित अभिलेखों के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत 09 मोबाइल टावर विभिन्न कम्पनियों की भिन्न– भिन्न वर्षों में उक्त अधिसूचना जारी के पूर्व में अधिस्थापित किये गये थे, जो उपर्युक्त नियमावली के अनुसार नगर निकाय से अपंजीकृत थे, दिनांक 31.03.13 तक कुल रू. 5.58 लाख पंजीकरण एवं नवीनीकरण के रूप में बकाया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VII पर)

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जबाव दिया गया कि वर्तमान में नोटिस दी गयी है दिनांक 15.06.13 को पक्ष रखने के बाद आगे की कार्यवाई की जायेगी।

अतः बकाया राशि रू. 558000.00 मोबाईल टावर मालिकों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

18. योजना की भौतिक स्थिति

क्र0सं0	वर्ष	मद	पूर्ण	अपूर्ण	कुल
1	2011–12	बी0आर0जी0एफ	07	03	10
2	2011–12	12वीं वित्त	10	–	10
3	2012–13	13वीं वित्त	11	03	14
योग			28	06	34

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर)

अतः 06 अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

19. अधिक भुगतान

विभिन्न मदों के पी0सी0सी0 (1:2:4) कार्य की विभिन्न योजनाओं के नमूना जांच में पाया गया कि पी0सी0सी0 कार्य के लिए कय किए गए चिप्स को एकत्रित करके नहीं रखा गया था तथा वॉयड (8.33 प्रतिशत) की कटौती किए बिना ही अर्थात चिप्स की वास्तविक मात्रा ज्ञात किए बिना ही पी0सी0सी0 कार्य की संगणना/मापी की गई थी, जिसके कारण इन योजनाओं पर रू. 7262.00 की अधिक भुगतान संबंधित अभिकर्त्ता को किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IX पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा यह जवाब दिया गया कि यह आपत्ति तकनीकी विशेषज्ञों से संबंधित है। अतः इस संबंध में तकनीकी अधिकारी के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी।

अतः उपर्युक्त अधिक भुगतान की राशि रू. 7262.00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत के निधि में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

20. निष्फल व्यय– रू. 0.17 लाख

योजना सं0.:–06/11–12

मदः– पिछड.ा क्षेत्र अनुदान निधि

योजना का नामः– पोखर का जीर्णोद्धार

अभिकर्त्ताः– श्री पंकज कुमार दास

प्राक्कलित राशि– रू. 150600.00

कार्यादेश की तिथिः 18.10.11

कार्य पूर्ण करने की तिथिः दिनांक 20.12.11

भुगतान राशिः– रू. 17000.00

भौतिक स्थितिः– अपूर्ण

लेखापरीक्षा टिप्पणी

संबंधित योजना के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पोखर का वर्तमान अवधि तक सिर्फ आउटलेट का ही कार्य किया गया था जिस पर कुल रू. 17000.00 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार करीब 1.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कार्य अधूरा कराकर छोड़ दिया गया है। इतने समय बीत जाने पर अब इस योजना का इस प्राक्कलित राशि पर कार्य पूर्ण कराना संभव भी नहीं है अतः इस योजना पर किया गया व्यय रू. 17000.00 निष्फल साबित होता है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

21. प्राक्कलन के प्रतिकुल कार्य–रू. 0.84 लाख

योजना सं0–01/11–12

योजना का नाम–पी0सी0सी0 सड़क, वार्ड सं0 2 में

संवेदक का नाम– श्री पंकज कुमार दास

प्राक्कलित राशि–रू. 149100.00

तकनीकी स्वीकृति–20.06.11/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल बांका

प्रशासनिक स्वीकृतिः– 18.10.11/कार्यपालक पदाधिकारी

कार्यादेश की तिथि– 18.10.11

कार्य पूर्ण करने की तिथि– 20.12.11

कार्य की भौतिक स्थितिः– अपूर्ण

संवेदक को भुगतानः– रू. 84000.00

अशोक मंडल के घर से भैरो साह के घर तक पी.सी.सी सड़क हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया था प्राक्कलन के अनुसार 190'x10' के लम्बाई में मिटटी कार्य, ईंट कार्य, बालू भराई एवं अंत में पी.सी.सी. कार्य करना था।

संलग्न मापी पुस्तिका के अनुसार ईंट का कार्य 42'0" x9'0" में ही किया गया था जबकि पी.सी.सी. का कार्य 190'0"x9'0" के लम्बाई में कर दिया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति

(क) बिना मिटटी कटाई एवं कंसोलिडेशन का कार्य किये 42'0" x9'0" की लम्बाई में ईंट का कार्य किया गया। साथ ही जब ईंट का कार्य 42'0" की लम्बाई में ही कराया गया तो पी.सी.सी. का कार्य 190 फीट की लम्बाई में कैसे हो सकता है। यद्यपि कार्य अपूर्ण है तथापि मापी पुस्तिका से साफ स्पष्ट है कि प्राक्कलन/कार्य की गुणवत्ता को नजर अंदाज कर कार्य किया जा रहा था अथवा मापी पुस्तिका बिना स्थल निरीक्षण किये तैयार की गया था।

(ख) कार्य को 20.12.11 तक पूर्ण कर देना था जबकि वर्तमान स्थिति तक कार्य अपूर्ण है। करीब एक वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद पूर्व में कराये गये कार्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है और यदि कार्य पूर्ण भी करायी जाती हे तो वह मात्र एक खानापूर्त्ति ही होगा क्योंकि एक वर्ष में सामग्री का मूल्य बढ जाने के कारण कार्य को पूर्व के दर पर संपन्न कराना मुश्किल है और निश्चित रूप से कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करके ही इसको पूर्ण किया जा सकता है।

(ग) एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होने के वाबजूद संवेदक के विरूद्ध कोई कार्यवाई नहीं किया गया था।

(134

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जबाव दिया गया कि सम्बन्धित व्यक्ति से पूछताछ के बाद कार्यवाई की जायेगी।

अतः स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक इस कार्य पर किया गया व्यय रू. 84000.00 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

22. योजनाओं का विभागीय रूप से कियान्वयन– ₹11.55 लाख

राज्य सरकार के ज्ञापांक 1954/न.वि. एवं आ.वि. दिनांक 17.04.08 के द्वारा सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि योजना मद से लिये गये विभिन्न कार्यों को निविदा के माध्यम से कियान्वित किया जाना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि सरकार के दिशानिर्देश के विरूद्ध 12वीं एवं 13वीं वित्त से ली गई योजनाओं का कियान्वयन विभागीय रूप से कराया गया जिसके अभिकर्ता कमशः श्री बांके बिहारी मंडल, कनीय अभियंता एवं मो0 सैयद अताउररहमान, जन सेवक (प्रतिनियुक्ति पर) थे। 12वीं वित्त आयोग से 2011–12 में कुल 10 योजनाएं विभागीय रूप से कियान्वित कराये गये जबकि 13वीं वित्त आयोग से कुल 14 योजनाएं 2012–13 में कियान्वित कराये गये जिनपर कमशः रू. 515493.00 एवं रू. 639996.00 व्यय किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– X पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में अनुमोदित योजनाओं पर विभागीय कार्य की गई। जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः 12वी एवं 13वी वित्त पर किया गया व्यय रू. 1155489.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

23. विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं– रू. 2.67 लाख

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य का एकरारनामा फार्म एफ–2 (अनुसूची एक्स एल वी फॉर्म– 61) में किया जाना चाहिए जिसमें संविदा के सामान्य नियम एवं शर्तों के उपबंध 2 में विलम्ब से कार्य समाप्ति पर संवेदक के विपत्र से विलम्ब शुल्क 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन और अधिकतम प्राक्कलन का 10 प्रतिशत का प्रावधान है।

नगर पंचायत, अमरपुर विभिन्न मदों से संबंधित योजना अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक के साथ एकरारनामा निर्धारित प्रपत्र एफ–2 में न कर भारतीय गैर न्यायिक पेपर पर किया गया था। संवेदक को निर्गत कार्यादेश के सामान्य शर्त (कंडिका 2) एवं एकरारनामा के सामान्य शर्त (कंडिका

4) के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर विलम्ब के प्रथम माह में कुल प्राक्कलन का 2.5 प्रतिशत दुसरे माह में 05 प्रतिशत एवं तीसरे माह में 10 प्रतिशत की कटौती अंतिम विपत्र से कर लेने का प्रावधान किया गया था। लेकिन संवेदक द्वारा कार्य विलम्ब से समाप्त (मापी पुस्त के अंतिम तिथि) करने के बावजूद विलम्ब दण्ड रू. 267441.00 की कटौती नहीं की गई थी और इस प्रकार संवेदक को अनुचित रूप से अधिक भुगतान किया गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– XI पर)

अंकेक्षण आपत्ति का नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि संवेदक द्वारा एकरारनामा विहित फार्म एफ–2 पर नहीं करने के कारण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब पर विलम्ब दण्ड अधिरोपण संवेदक पर नहीं किया गया। आगे से संवेदक द्वारा ख्याल रखा जायेगा। जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उपरोक्त राशि रू. 267441.00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत के निधि में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

24. श्रम उपकर की कटौती नहीं– रू. 0.29 लाख

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तदनानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1 –302/2006, श्र0नि0 –865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। जो वर्ष 2007–08 से ली गई योजनाओं पर लागु होगा। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर राशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से सचिव बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

निर्धारित अवधि मे सेस जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सेस 2 प्रतिशत की दर से तथा उस पर सुद 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से देय होगा तथा साथ ही सेस भुगतान के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी द्वारा सेस जमा नहीं करने पर अर्थदंड के साथ– साथ कारावास का प्रावधान है।

परन्तु नगर पंचायत के वर्ष 2011–12 से 2012–13 के विभिन्न मदों से संबंधित योजना अभिलेख, योजना पंजी के नमूना जांच में पाया गया कि कुल 26 पूर्ण योजनाओं पर रू. 2980693.00 व्यय किया गया था जिसके संबंधित योजनाओं के अंतिम विपत्रों से रू. 29806.00 की श्रम सेस की कटौती नहीं की गई थी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– XII पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि श्रम सेस की कटौती के संबंध में अनुपालन कि जायेगी। जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः श्रम उपकर की नहीं की गई कटौती राशि रू. 29806.00 की वसुली इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं इसे संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

132

25. वैट की कम/नहीं कटौती राशि– रू. 0.60 लाख

बिहार वैट नियमावली 2005 की धारा 41 के अनुसार संवेदक द्वारा कराये गये कार्य के मूल्य से वैट की कटौती (05 प्रतिशत की वर्तमान दर) कर भुगतान किया जाना है।

विभिन्न योजनाओं के नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक के विपत्र से वैट की राशि कम/नहीं कटौती की गई जिसके कारण संवेदक को कुल रू. 60173.00 का अधिक भुगतान किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– XIII पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि जमा करने संबंधी कार्यवाई की जायेगी।

अतः उपर्युक्त कम/नहीं की गई वैट कटौती की राशि रू. 60173.00 की वसुली संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों से की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

26. वैट, रायल्टी, आयकर एवं श्रम सेस की कटौती की गई राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं– रू. 2.10 लाख

नग़र पंचायत के द्वारा कियान्वित विभिन्न मदों के योजनाओं के अभिलेखों एवं संबंधित रोकड़ बही के नमूना जांच में पाया गया कि योजनाओं पर कटौती की गई वैट, रॉयल्टी एवं श्रम सेस की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गई थी, निम्न है:–

क0सं0	मद	वैट	रॉयल्टी	आय कर	श्रम सेस
1	बी0आर0जी0एफ0	77263.00	33242.00	31050.00	14097.00
2	12वी वित्त आयोग	13103.00	3999.00	—	167.00
3	13वीं वित्त आयोग	23722.00	8028.00	—	5246.00
योग		114088.00	45269.00	31050.00	19510.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– XIV पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि कटौती की गई राशि उचित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

अतः वैट की राशि रू. 114088.00, रॉयल्टी राशि रू. 45269.00, आय कर राशि रू. 31050.00 एवं श्रम सेस की राशि रू. 19510.00 को संबंधित शीर्ष में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

27. दैनिक मजदूरी पर अनियमित व्यय–रू.2.86 लाख

बिहार सरकार के पत्रांक 682 दिनांक 21.02.08 एवं 1231 दिनांक 06.05.1992 के द्वारा स्थानीय निकायों को दैनिक मजदूरी पर मजदूर/कर्मचारी को कार्य पर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है तथा इस पत्रानुसार स्वच्छता कार्य बाह्य स्रोत से कराने एवं इसके लिए निविदा आमंत्रण करना आवश्यक किया गया है।

लेकिन नगर पंचायत के विविध उप रोकड़ बही एवं अभिश्रवों के नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान कुल रू. 286061.00 दैनिक मजदूरों पर मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया था, जो अनियमित था, निम्न है:–

क0सं0	अभिश्रव सं0/तिथि	राशि
2011–12		
1	07 से 16/05.02.12	39187.00
2	29 से 37/01.03.12	36700.00
योग		75887.00
2011–12		
1	01 स 05/05.04.12	22716.00
2	14 से 18/17.0712	31824.00
3	25 से 26/25.07.12	15120.00
4	33 से 41/20.10.12	86256.00
5	94 से 96/12.11.12	28194.00
6	119 से 122/25.11.12	26064.00
योग		210174.00
कुल योग		286061.00

इस प्रकार सरकार के निर्देश के विरूद्ध वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान दैनिक मजदूरों पर अनियमित व्यय रू. 286061.00 किया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि सफाईकर्मी की भारी कमी होने की वजह से दैनिक मजदूरी पर मजदूरों से जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत की सफाई कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त जवाब को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है।